



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, (राज.)

पीपीसीन अधिकारी

डॉ. अंजली राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	प्रार्थी	उनवान	अप्रार्थी
1	90 / 2025 2025 / 33	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री रामनिवास पिता चुन्नीलाल श्रीमती वैजयन्तिमाला पत्नि रामनिवास पाटीदार, पानमोडी	
2	80 / 2025 2025 / 26	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री ओमप्रकाश पिता रमेशचन्द्र श्रीमती ललिता पत्नि ओमप्रकाश पाटीदार, गादोला	
3	76 / 2025 2025 / 6	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री दिलीप कुमार पिता मोहनलाल श्री निर्मल पिता ईश्वरलाल श्री योगेन्द्र व रामगोपाल पिता अम्बालाल पाटीदार, पानमोडी	
4	34 / 2025 2025 / 82	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री घनश्याम पिता मोडीराम श्रीमती रेखा बाई पत्नि घनश्याम, थडा	
5	89 / 2025 2025 / 34	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री असरफ व असलम पुत्र कासम, नुरजां पत्नि असलम, सुगरा बी पत्नि असरफ मुसलमान	
6	85 / 2025 2025 / 12	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्रीमती ज्योति पत्नि प्रितम श्री प्रितम पुत्र शिवलाल, पानमोडी	
7	81 / 2025 2025 / 7	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्रीमती पुजा पत्नि राहुल श्री राहुल पिता शिवलाल, पानमोडी	
8	79 / 2025 2025 / 19	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री पुष्पा पत्नि सुरेश जैन, सेमली	
9	82 / 2025 2025 / 5	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री ईश्वर पुत्र नन्दा, केशरबाई, नानालाल पिता रामनारायण पार्वती बाई पत्नि रामनारायण रामकुवरी पत्नि दलीचन्द सम्पत बाई पत्नि मोहन लाल गायरी, पानमोडी	
10	86 / 2025 2025 / 72	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री यश पुत्र हरिप्रसाद पाटीदार, गादोला	
11	102 / 2025 2025 / 36	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री रामचन्द्र पुत्र दलीचन्द पाटीदार, पानमोडी	
12	83 / 2025 2025 / 27	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्रीमती अलका पत्नि गौरव श्री गौरव पिता कैलाश पाटीदार, पानमोडी	
13	84 / 2025 2025 / 4	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्रीमती जनता पत्नि नवीन श्री नवीन पुत्र राकेश पाटीदार, पानमोडी	
14	88 / 2025 2025 / 35	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री ईश्वरलाल, भैरूलाल पिता देवा श्री खेमराज, भंवरलाल व रामलाल पिता किशन जाति नायक निवासी पानमोडी	
15	91 / 2025 2025 / 32	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री महेन्द्र सिंह व सामन्तसिंह पिता अमरसिंह पप्पुकुंवर पत्नि सामन्त सिंह श्री श्याम कुंवर पत्नि महेन्द्र सिंह राजपुत निवासी रतनियाखेडी	
16	78 / 2025 2025 / 22	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री घनश्याम पुत्र भंवरलाल, श्रीमती निर्मला पत्नि घनश्याम जाति गायरी निवासी पानमोडी	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970

उपरिस्थिति :-

डॉ. अंजली राजोरिया
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)


1. श्री पैरोकार सरकार
2. अधिवक्ता (अप्रार्थी/आवंटीगण)
3. विपक्षी आवंटीगण स्वयं

—: आदेश :-

दिनांक :- 18 / 07 / 2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/विपक्षी/आवंटीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021-2022 के दौरान निम्नांकित अनुसार किये गये आवंटनों के संबंध में राज्यादेश से जिला कलक्टर द्वारा गठित आवंटन एवं नामान्तरकरण जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त समस्त प्रकरणों को निरस्त योग्य बताया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि आवंटन प्रकरणों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	आवंटीगण	मिसल संख्या एवं आदेश दिनांक	राजस्व गांव	आवंटित भूमि	कुल रकबा है. में	मेंसे आवंटित भूमि है. में
1	श्री रामनिवास पिता चुन्नीलाल श्रीमती वैजयन्तिमाला पत्नि रामनिवास पाटीदार, पानमोडी	118 / 24.12.2021	पानमोडी	2700 / 1810 2703 / 1704	0.30 0.07	0.30 0.07
2	श्री ओमप्रकाश पिता रमेशचन्द्र श्रीमती ललिता पत्नि ओमप्रकाश पाटीदार, गादोला	123 / 24.12.2021	पानमोडी	2694 / 1542 2696 / 1547	0.30 0.10	0.30 0.10
3	श्री दिलीप कुमार पिता मोहनलाल श्री निर्मल पिता ईश्वरलाल श्री योगेन्द्र व रामगोपाल पिता अम्बालाल पाटीदार, पानमोडी	130 / 24.12.2021	पानमोडी	2701 / 1810	0.45	0.45
4	श्री घनश्याम पिता मोडीराम श्रीमती रेखा बाई पत्नि घनश्याम, थडा	86 / 24.12.2021	लालपुरा	177 182	0.05 0.32	0.05 0.32
5	श्री असरफ व असलम पुत्र कासम, नुरजां पत्नि असलम, सुगरा बी पत्नि असरफ मुसलमान	120 / 24.12.2021	पानमोडी	1524 2690 / 1525	0.20	0.20
6	श्रीमती ज्योति पत्नि प्रितम श्री प्रितम पुत्र शिवलाल, पानमोडी	128 / 24.12.2021	पानमोडी	892	0.24	0.24
7	श्रीमती पुजा पत्नि राहुल श्री राहुल पिता शिवलाल, पानमोडी	124 / 24.12.2021	पानमोडी	928 / 2279	0.19	0.19
9	श्री पुष्पा पत्नि सुरेश जैन, सेमली श्री ईश्वर पुत्र नन्दा, केशरबाई, नानालाल पिता रामनारायण पार्वती बाई पत्नि रामनारायण रामकुवरी पत्नि दलीचन्द सम्पत बाई पत्नि मोहन लाल गायरी, पानमोडी	121 / 24.12.2021	पानमोडी	2698 / 1492	0.16	0.16
10	श्री यश पुत्र हरिप्रसाद पाटीदार, गादोला	117 / 24.12.2021	पानमोडी	945 / 2330	0.22	0.22
10	श्री यश पुत्र हरिप्रसाद पाटीदार, गादोला	119 / 24.12.2021	पानमोडी	2704 / 1704 2705 / 1492	0.07 0.12	0.07 0.12
11	श्री रामचन्द्र पुत्र दलीचन्द पाटीदार, पानमोडी	131 / 24.12.2021	पानमोडी	1815 / 2088	0.17	0.17



18
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (स.ज.)

12	श्रीमती अलका पत्नि गौरव श्री गौरव पिता कैलाश पाटीदार, पानमोडी	126 / 24.12.2021	पानमोडी	421 / 2027	0.14	0.14
13	श्रीमती जनता पत्नि नवीन श्री नवीन पुत्र राकेश पाटीदार, पानमोडी	127 / 24.12.2021	पानमोडी	1480	0.14	0.14
14	श्री ईश्वरलाल, भैरूलाल पिता देवा श्री खेमराज, भंवरलाल व रामलाल पिता किशन जाति नायक निवासी पानमोडी	129 / 24.12.2021	पानमोडी	1604 / 2307 2692 / 1559	0.14 0.25	0.14 0.25
15	श्री महेन्द्र सिंह व सामन्तसिंह पिता अमरसिंह पप्पुकुंवर पत्नि सामन्त सिंह श्री श्याम कुंवर पत्नि महेन्द्र सिंह राजपुत निवासी रतनियाखेडी	122 / 24.12.2021	पानमोडी	2688 / 524 526	0.25 0.24	0.25 0.24
16	श्री घनश्याम पुत्र भंवरलाल, श्रीमती निर्मला पत्नि घनश्याम जाति गायरी निवासी पानमोडी	125 / 24.12.2021	पानमोडी	1731	0.29	0.29

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपस्थित आवंटीगणों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विधिवत् सूनवाई के अवसर प्रदान कराते हुए प्रत्येक आवंटी की व्यक्तिशः सुनवाई की गई उक्त दौरान उपस्थित आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज बाबत कब्जा काश्त एवं अन्तरण तथा जवाब प्रार्थना पत्रों को रिकार्ड पत्रावली पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि आवंटन प्रकरणों के संबंध में जिला कलक्टर महोदय स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं तथा आवंटित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में विहित प्रावधानों की समुचित पालना किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ द्वारा राजकीय भूमियों का आवंटन किया गया है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य होकर विवादित समस्त आवंटन निरस्त योग्य होने से खारीज फरमावें।

विपक्षीगण की ओर से स्वयं उपस्थित हुए व निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर विपक्षीगणों का विगत 30-40 वर्षों से कब्जा है। अतः भूमि आवंटन को निरस्त नहीं किया जावे।

इसी परिपेक्ष्य में उपस्थित समस्त अधिवक्तागण एवं अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा दौराने सूनवाई एवं बहस अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमियों पर निरन्तर कब्जा-काश्त के आधार पर प्राप्त नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिखित एवं मौखिक जवाब का हवाला देते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर हमारा लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर आवंटन किये गये हैं जिसे यथावत् रखा जावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना पत्रों तथा संलग्न रिकार्ड दस्तावेज के साथ साथ विवादित आवंटन प्रकरणों के संबंध में प्राप्त विविध शिकायत एवं जांच प्रार्थना पत्रों दिनांक 10.01.2024 एवं 31.01.2024 तथा आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 एवं 12.04.2024 तथा आवंटन मिशलों तथा आवंटित भूमियों वस्तु स्थिति रिपोर्ट एवं दर्ज गैर-खातेदारी नामान्तरकरणों के साथ साथ प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश पत्रांकों राजस्व ग्रुप-3 विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25.04.2024 व 02.07.2024 एवं 24.08.2024 तथा राज्य विशेष शाखा (CID) राजस्थान जयपुर से तलब रिपोर्ट पत्र दिनांक 14.06.2024 सहित प्रकरण में प्रचलित राजस्व विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान :- 2021-22 के दौरान राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किये आवंटन एवं नियमन हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रस्तावित समस्त कार्यवाहियों की अक्षरक्ष : पालना नहीं की गई है इन तथ्यों की संपुष्टि तथा आवंटन हेतु उद्घोषित भूमियों के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थितियों परिस्थितियों को संज्ञान में नहीं लाया जाकर संबंधित पटवारी,

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

4-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूमियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दिया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

इसी प्रकार देखने रिकार्ड आवंटन कार्यवाही एवं आवंटन मिशले संज्ञान में आया कि प्रस्तुत आवेदनों को नियमानुसार दर्ज रिकार्ड एवं सूचिबद्ध नहीं किया गया था तथा आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों के सड़क सीमा की अथवा प्रतिबंधित श्रेणी में निहित होने अथवा रास्ता बाधित और रास्ता विवाद निर्मित करने वाली या पट्टी पठार छोटी पट्टी आवंटन के रूप में निलामी योग्य होने संबंधि जानकारियों को रिकार्ड पर लाये बिना आवंटन हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित की गई जिससे भविष्य में कई राजस्व एवं सिविल विवाद व्युत्पन्न होना संभावित हो गया है। साथ ही कतिपय मामलों में ऐसी भूमियों के आवंटन के दौरान मौके पर काबिज व्यक्तियों से पृथक व्यक्तियों तथा आवंटित भूमियों के मूल राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतों से पृथक ग्रामवासीयों को आवंटन किया जाना भी विवाद्यक रहा है तथा आवंटन कार्यवाहियों के संबंध में नियमानुसार रिकार्ड संघारण नहीं करते हुए आवंटन सलाहकार समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण समुचित तरिके से आवंटन कार्यवाही के साथ लिपिबद्ध नहीं किया जाकर उपस्थिति/अनुपस्थित सदस्यों की पुष्टि नहीं किया जाना भी किये गये आवंटनों को विवादित बनाता है।

प्रस्तुत प्रकरणों में आवंटित भूमियों में से शत प्रतिशत भूमियों के पूर्व से काबिज काश्त होने की स्थिति में उक्त भूमियों के आवंटन से गैर-खातेदारी के बजाय सद्भाविक कब्जा-काश्त एवं आवंटी की पात्रता अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत नियमन कार्यवाही करते हुए नियमन हेतु देय राजकीय शुल्क राशियों को नियत राजस्व मद में जमा कराये जाने उपरान्त नियमन कार्यवाही प्रक्रिया प्रस्तावित की जानी चाहीये थी जिससे राजकीय राजस्व आय के साथ साथ सद्भाविक एवं उचित आवंटियों/अतिक्रमियों के विरुद्ध संचालित धारा 91 की कार्यवाही समाप्त होकर राजकीय भूमियों का उचित प्रबंधन किया जा सकता था। किन्तु अपनाई गई प्रक्रिया से राजस्व हानी कारीत हुई है। इसके विपरीत आवंटन कार्यवाही किया जाना प्रचलित विधियों का अतिलंघन है। इसके अतिरिक्त अवैधानिक अतिक्रमियों को आवंटन किया जाना अनुचित प्रतीत होता है।

इस संबंध में आवंटन जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में उल्लेखित तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं की अनुसरण में प्रार्थी/तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समान प्रक्रिया एवं समान बिन्दुओं पर विरुद्ध अप्रार्थी/आवंटीगण समुचित रूप से सिद्ध होकर स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी/आवंटीगण स्वीकार किये जाकर प्रकरण में संदर्भित समस्त विवादित आवंटनों को निरस्त किया जाता है और तहसील प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आवंटनों के प्रतिफल स्वरूप अवैध आवंटियों के नाम दर्ज राजकीय भूमियों की गैर-खातेदारियां विलोपित कर आवंटित भूमियों को पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जाकर आवंटन से विमुक्त भूमियों को कब्जे राज ली जावें। पत्रावलियां फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को सरेइजलास सूनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।

(डॉ अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

